कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा।

विज्ञप्ति/सूचना

उ० प्र० राज्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, के पञ्चक पत्र- 1228/ एसएलएसए- 05/2002 (पीएस) दिनांकित 11 अप्रैल, 2023 के अनुसार स्थायी लोक अदालत जनपद न्यायालय एटा में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के आदेशानुसार स्थायी लोक अदालत एटा में चपरासी के पद पर नियुक्ति की जानी है। स्थायी लोक अदालत में चपरासी के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु जिला न्यायालय/ कलेक्ट्रेट के सेवानिवृत कर्मचारी जनकी आयु 65 वर्ष से कम हो चपरासी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते है। स्थायी लोक अदालत में चपरासी के पद पर 7,000/- रू० प्रति माह नियत पारिश्रमिक देय होगा तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष या 65 वर्ष तक जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति की जायेगी।

इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र **दिनांक 25.02.2026 सायं 05:00 बजे** तक किसी भी कार्य दिवस में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के कार्यालय में स्वयं अथवा पंजीकृत डाक से प्रेषित कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र की प्रति जनपद न्यायालय पटा की देवसाइट https://etah.dcourts.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। इच्छुक अभ्यर्थी को निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन करना होगा। प्राप्त आवेदन पत्र पर सम्यक विचारोपरान्त साक्षात्कार की तिथि एवं स्थान की सूचना आवेदकों को यथा समय दी जायेगी। साक्षात्कार में प्रतिभाग लेने के लिए आवेदकों को कोई भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त विज्ञप्ति के सम्वन्ध में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा से किसी भी कार्य दिवस में संम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

दिनांक: 10.02.2026

(कामायनी दुबे)
सिविल जज (सी0डि0)/प्रभारी-सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा।

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषितः-</u>

1. जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा।
2. अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत एटा।
3. जिलाधिकारी, एटा।
4. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद व्यायालय एटा विज्ञप्ति को जनपद न्यायालय की ओफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करें।
5. केन्द्रीय नाजिर दीवानी न्यायालय को इस विज्ञप्ति को दीवानी कचहरी के सूचनापट पर चस्पा करने हेतु।
6. केन्द्रीय नाजिर कलेक्ट्रेट, एटा को इस विज्ञप्ति को कलेक्ट्रेट परिसर के सूचनापट पर चस्पा करने हेतुः
7. अध्यक्ष / सचिव, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन, पटा को बार के सूचनापट पर चस्पा करने हेतु।
8. जनसामान्य की सूचना हेतु समस्त दैनिक समाचार पत्रों को निःशुल्क प्रकाशन कुस्त हेतु प्रेषित।

प्रभारी-सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा।